62

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी निग-1695-I-14

भुरीबाई पत्नि वकील खा, निवासी– ग्राम झलारिया,
तह. बड़नगर जिला उज्जैन —आवेदिका

विरूद्ध

1) सलाम खा पिता छीतू निवासी– ग्राम झलारिया,
तह. बड़नगर जिला उज्जैन

2) सर्वसाधारण —अनावेदकगण

421
09/5/2014

पुर्नरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील बड़नगर के प्रकरण क्र. 27/अ–6–अ/2011–2012 में आदेश दिनांक 11–02–2014 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

—:प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक 1 ने भूमि सर्वे नम्बर 524 रकबा 1.16 हे. स्थित ग्राम झलारिया को विक्रय करने का सौदा 40,000/—रूपये प्रतिबीघा की मान से 2,28000/—रूपये में तय करके विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि दिनांकित 21–06–2005 को नगद समक्ष गवाहो के अदा कर विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित कराया व मौके पर काबिज करा दिया इस प्रकार से आवेदिका का दिनांक 21–06–2005 से लगातार काबिज चली आ रही है। अनावेदक 1 द्वारा विक्रय अनुबंध के पालन में विक्रय पत्र सम्पादित नही किये जाने की स्थिति में आवेदिका ने व्यवहार न्यायालय में स्पेशिफिक परफार्मेस हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसमें आवेदिका ने आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कब्जा एवं वाद के निराकरण तक किसी प्रकार से अन्तरण नही करे इस बाबत् दिनांक 29–07–2011 को सिविल कोर्ट द्वारा आदेश पारित

निरन्तर...2

(62)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1695-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	